न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश,द्वितीय्,सह विशेष न्यायाधीश,उत्पाद,समस्तीपुर।

हसनपुर थाना काण्ड सं0 269/19, कम्पयूटर निबंधन सं0 1572/19

03.02.20 आवेदक 1. **रंजित कुमार महतो**, जो हसनपुर थाना काण्ड सं0 269/19, धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 22.1.20 से काराधीन है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान वि0 लोक अभि0 को दी जा चुकी है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किये कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उसके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़त, असत्य एवं निराधार है। उसके पास से कोई शराब बरामद नही किया गया है। तथाकथित बरामद शराब से उसका कोई संबंध नही है। उसका नाम सह अभियुक्त द्वारा पुलिस को दिये गये बयान के आधार पर इस वाद में आया है। उसे मात्र दुश्मनी के कारण इस झुठे वाद में फॅसा दिया गया है। आरोपित धाराएँ उसके विरूद्व नही बनती है। उसे उत्पाद से संबंधित एक अन्य वाद हसनपुर थाना काण्ड सं0 127/19 से प्रस्तुत वाद में रिमाण्ड किया गया है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्व धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्त का नाम, सूचक द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर घटनास्थल पर 180 एम0एल0 के 9 बोतल एवं 375 एम0एल0 के 4 बोतल के साथ पकड़े गये अभियुक्त अरूण कुमार उर्फ भीम तथा 180 एम0एल0 के 52 बोतल विदेशी शराब के साथ पकड़े गये अभियुक्त राजेश कुमार द्वारा पुलिस को दिये गये बयान के आधार पर इस वाद में आया है, जिसके अनुसार बरामद शराब उसे आवेदक रंजित कुमार महतो द्वारा बाहर से मंगाकर उपलब्ध कराया जाता है। आवेदक विदेशी शराब का कारोबारी है जिसे उत्पाद से संबंधित एक अन्य वाद हसनपुर थाना काण्डसं0 127/19 से प्रस्तुत वाद में रिमाण्ड किया गया है। उसके विरूद्व लगाये गये आरोप की प्रकृति काफी गम्भीर है तथा वाद अनुसंधान की अवस्था में है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में आरोप की गम्भीरता तथा आपराधिक इतिहास को देखते हुए यह न्यायालय आवेदक अभियुक्त को जमानत का लाभ देना न्यायोचित नही समझता है। अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्या0–2

सह वि0 न्या0उत्पाद